

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू०पी० (एस०) सं०-३४७ वर्ष २०१७

रघुनंदन सन्निग्राही, पे०-स्वर्गीय बृन्दाबन सन्निग्राही, निवासी-पारडीह, एन०एच०-३३,
डाकघर-पारडीह, थाना-माहगो, जिलस-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर

..... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, झारखण्ड सरकार, टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर-धुर्वा एवं
थाना-जगन्नाथपुर, जिला-राँची
3. जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, डाकघर एवं थाना-बिस्टुपुर,
जिला-पूर्वी सिंहभूम
4. सचिव/हेडमास्टर, भारत सेवाश्रम संघ प्राणवानंद विद्या मंदिर उच्च विद्यालय, सोनारी,
डाकघर एवं थाना-सोनारी, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर

..... उत्तरदातागण

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रमाथ पटनायक

याचिकाकर्ता के लिए :- श्री एम०एम० पान, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए :- जी०पी०-VI के जे०सी०

०२ / २१.०३.२०१७ याचिकाकर्ता प्रतिवादी-भारत सेवाश्रम संघ प्राणवानंद विद्या मंदिर हाई
स्कूल, सोनारी की सेवाओं से सहायक शिक्षक के रूप में 31.05.1999 को सेवानिवृत्त हुए
थे। याचिकाकर्ता का यह तर्क है कि विचाराधीन स्कूल एक गैर-सरकारी सहायता प्राप्त

अल्पसंख्यक स्कूल है और स्कूल कर्मचारियों के वेतन और सेवानिवृति लाभों के भुगतान के लिए सभी खर्चों को राज्य सरकार द्वारा सरकारी खजाने से वित्त पोषित किया गया है। महालेखाकार कार्यालय द्वारा जारी पेंशन भुगतान आदेश के आधार पर उन्हें पेंशन भी मिल रही है।

2. वर्तमान रिट याचिका में, याचिकाकर्ता की शिकायत उसके खिलाफ बकाया अर्जित अवकाश पर छुट्टी नकदीकरण राशि का भुगतान न करने के संबंध में है। उन्होंने यह भी कहा है कि अन्य पोस्ट रिटायरल बकाया का भुगतान पहले ही किया जा चुका है और राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुदान सहायता से वेतन और सेवानिवृति के बाद लाभ का भुगतान किया गया है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि हालांकि, याचिकाकर्ता के दावे का पहले प्रतिवादी—राज्य सरकार द्वारा विरोध किया गया था, लेकिन इस न्यायालय की विद्वान खण्डपीठ द्वारा दिनांक 3 जनवरी, 2014 को डब्ल्यू०पी० (एस) सं० 506/2013 मरियम तिर्की बनाम झारखण्ड राज्य और अन्य एवं अन्य अनुरूप मामले में पारित निर्णय जो 2014 (1) जे०बी०सी०जे० 465 में रिपोर्ट किया गया है, के मद्देनजर अब इस मुद्दे को सुलझा लिया गया है और अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्पेशल लीभ टू अपील (सी) संख्या (एस) 20606–20607/2014 में पारित दिनांक 15.12.2014 के निर्णय द्वारा पुष्टि किया गया। याचिकाकर्ता के अनुसार, विद्वान डिवीजन बैंच द्वारा पूर्वोक्त पारित निर्णय जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी पुष्टि की गई है, के मद्देनजर याचिकाकर्ता को

अर्जित अवकाश नकदीकरण राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदाताओं को निर्देश देकर रिट याचिका का निपटारा किया जा सकता है।

4. उत्तरदाता—राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता इस बात पर विवाद नहीं करते हैं कि गैर—सरकारी/सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूल के शिक्षकों को अर्जित अवकाश नकदीकरण राशि की स्वीकार्यता से संबंधित पूर्वोक्त मुददा अब मरियम तिर्की (सुप्रा) के मामले में दिए गए निर्णय द्वारा तय किया गया जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक पुष्टि किया गया।

5. पार्टियों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, ऐसी परिस्थितियों में, रिट याचिका का निपटारा प्रतिवादी सं0 3 को यह निर्देश देकर किया जा रहा है कि याचिकाकर्ता से संबंधित सेवा रिकॉर्ड की उचित जांचके बाद उनके छुट्टी नकदीकरण राशि प्रदान करने के मामले में उनके ओर से अभ्यावेदन के साथ इस आदेश की एक प्रति प्राप्त होने की तारीख से दस सप्ताह की अवधि के भीतर और मरियम तिर्की (सुप्रा) के मामले में दिए गए निर्णय को देखते हुए निर्णय किया जाए।

6. तदनुसार, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(प्रमाथ पटनायक, न्याया०)